न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 177/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स गोयल गैस चूल्हा रिपेयर, 10बी, सत्यवाटिका, करतारपुरा फाटक के पास, जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री हरिओम प्रसाद गोयल, निवासी 10बी, सत्यवाटिका, करतारपुरा फाटक के पास, जयपुर मालिक फर्म।

4. निर्णय दिनांक : 22.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री शिवेन्द्र गर्ग अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर शहर श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 05.11.2014 को घरेलू सिलेण्डरों के में गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स गोयल गैस चूल्हा रिपेयर पर पंहुचे। मौके पर उपस्थित श्रीमती शशिबाला ने बताया कि मना करने के बाद भी दुकानदार द्वारा छत पर गैस सिलेण्डरों को भरने का कार्य किया जाता है। दौराने निरीक्षण छत से 1 सिलेण्डर, इलेक्ट्रिक तराजू, पेचकस, एक पीतल की बांसुरी व दो पाने पाये गये। जिनके संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। दुकान के बाहर मोटर साईकिल पर एक बीपीसी का सिलेण्डर रखा हुआ था। जिसके बारे में पूछने पर मोटरसाईकिल व सिलेण्डर स्वयं का होना बताया। जिनके संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये। इस प्रकार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी मय 28.400 किग्रा. एलपीजी, इलेक्ट्रिक तराजू क्षमता 30 किग्रा. जीवन एण्ड नागजी कम्पनी, एक पीतल की बांसुरी, एक पेचकस व दो पाने जब्त किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शिवेन्द्र गर्ग ने दिनांक 14.12.2022 को उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/अधिवक्ता ने दिनांक 01.02.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर व अन्य सामान प्रार्थी का नहीं है ना ही वह कोई गैस रिफिलिंग का कार्य करता है। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानने का कथन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 05.11.2014 को जब्त घरेलू सिलेण्डर व अन्य सामान की सहायता से अप्रार्थी द्वारा गैस रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर उपस्थित श्रीमती शशिबाला ने बताया कि मना करने के बाद भी दुकानदार द्वारा छत पर गैस सिलेण्डरों को भरने का कार्य किया जाता है। मौके पर नोन आईएसआई छोटे सिलेण्डर भरवाने वाले उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि श्री राजेन्द्र 75–80 रु प्रति किलो में 3 से साढे 3 किलो गैस भरते हैं। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर व मोटरसाइकिल से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 2 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी मय 28.400 किग्रा. एलपीजी, इलेक्ट्रिक तराजू क्षमता 30 किग्रा. जीवन एण्ड नागजी कम्पनी, एक पीतल की बांसुरी, एक पेचकस व दो पाने को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।